रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-04112024-258434
CG-MH-E-04112024-258434

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4407] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 4, 2024/कार्तिक 13, 1946
No. 4407] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 4, 2024/KARTIKA 13, 1946

रेल मंत्रालय

(पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 30 अक्तूबर, 2024

रेल अधिनियम 1989 की धारा 20 A के अंतर्गत अधिसूचना

का.आ. 4788(अ).— केंद्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 क के खंण्ड (1) द्वारा प्रद्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य में मुंबई शहर परिवहन परियोजना – III के अंतर्गत **विरार – डहाणू रोड स्थानकों के दरम्यान तीसरी एवं चौथी रेलवे लाइन**, की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने आशय की घोषणा करती है ;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात उपखण्ड अधिकारी, डहाणू, जिला पालघर, महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णीत करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है |

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में मुंबई शहर परिवहन परियोजना – III के अंतर्गत विरार – डहाणू रोड स्थानकों के दरम्यान तीसरी एवं चौथी रेलवे लाइन की विशेष रेल परियोजना हेतु डहाणू तालुका, जिला पालघर में अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि क संक्षिप्त विवरण

क्रम.सं.	जिला	तहसील का नाम	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टर)
1	पालघर	डहाणू	पळे	१५६	0.३४.८५

[ई आफिस फा. सं. E-25840-15]

पवन कुमार सिंह, मुख्य इंजीनियर (निर्माण)-I

MINISTRY OF RAILWAYS

(Western Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th October, 2024

Notification under Section 20 A of the Railway Act, 1989

S.O. 4788(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railway (Amendment) Act, 2008 (11of 2008) and the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act). The Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, **Quadrupling of Virar-Dahanu corridor** on Western Railway, of MUTP III projects in District Palghar in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely Sub Divisional Officer, Dahanu, District Palghar, Maharashtra, in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Quadrupling of Virar-Dahanu corridor on Western Railway, of MUTP III projects in Dahanu Taluka, District Palghar in the State of Maharashtra.

Sr. No.	District	Taluka	Village	Survey No.	Land Acquired in Hectare
1	Palghar	Dahanu	Pale	156	0.34.85

[E Office F. No .E-25840-15]

PAWAN KUMAR SINGH, Chief Engineer (Construction)- I

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.11.04 22:28:06 +05'30'